

कार्यालय ज्ञाप

श्रम कल्याण अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत प्रतिष्ठानों/कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों का अवशेष देयकों की धनराशि को जमा किया जाता है, तथा वर्तमान में श्रमिक एवं सेवायोजक पक्ष से किसी प्रकार का योगदान नहीं किया जाता है।

(ह/०)

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

पत्रांक : ५४६४/२०२०,

दिनांक : २२-१२-२०२०

प्रतिलिपि : श्री संजीव कंडारी, आशुलिपिक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।



श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।